सत्यमेव जयते

राजस्थान राज–पत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
साधिकार प्रकाशित	*Published by Authority*
वैशाख 11, सोमवार, शाके 1939–मई 1, 2017 *Vaisakha 11, Monday, Saka 1939–May 1, 2017*	

भाग 4 (ग)
उप–खण्ड (II)
राज्य सरकार तथा अन्य राज्य प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये कानूनी आदेश तथा अधिसूचनाएं।

वित्त विभाग
(राज्य उपापन सुविधा प्रकोष्ठ)
अधिसूचना
जयपुर, मई 1, 2017

एस.ओ. 17 :– यतः, डिजीटल इंडिया पहल के अधीन, पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय, भारत सरकार, नई दिल्ली ने पारदर्शी और दक्ष रीति में, विभिन्न सरकारी विभागों, संगठनों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों इत्यादि द्वारा सामान्यतः अपेक्षित माल और सेवाओं के ऑनलाइन उपापन को सुकर बनाने के उद्देश्य से, सरकारी उपभोक्ताओं के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल "सरकारी ई–मार्केट प्लेस (GeM)" विकसित और संचालित किया है ;

और यतः, राज्य सरकार का यह समाधान हो गया है कि सरकारी ई–मार्केट प्लेस के माध्यम से किया गया उपापन, प्रौद्योगिकी का लाभ उठाकर उपापन प्रक्रिया में सरकार के मानवीय संव्यवहारिक अन्तः क्रिया (Transactional Interface) को न्यून करेगा।

अतः, अब, राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 (2012 का अधिनियम सं. 21) की धारा 58 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, यह राय होने पर कि लोक हित में ऐसा किया जाना समीचीन है, सरकारी ई–मार्केट प्लेस (GeM) पोर्टल के माध्यम से किये गये उपापनों को, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उप–धारा (1), धारा 11, 17 और 46 को छोड़कर, राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 (2012 का अधिनियम सं. 21) के उपबंधों के लागू किये जाने से, इसके द्वारा छूट देती है।

[सं. एफ.2(1) एफ.डी./एस.पी.एफ.सी./2017]

राज्यपाल के आदेश से,
नवीन महाजन,
शासन सचिव।

FINANCE DEPARTMENT
(State Procurement Facilitation Cell)
NOTIFICATION
Jaipur, May 1, 2017

S.O. 17.- Whereas, under Digital India initiative, the Directorate General of Supplies and Disposal, Government of India, New Delhi has developed and hosted an online portal "Government e-Marketplace (GeM)" for the government users, with an objective to facilitate online procurement of goods and services, commonly required by various government departments, organizations, public sector undertakings etc., in a transparent and efficient manner ;

And, whereas, the State Government is satisfied that the procurement through Government e-Marketplace shall minimize the Government's human transactional interface in procurement processes by leveraging technology.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 58 of the Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012 (Act No. 21 of 2012), the State Government, being of the opinion that it is expedient in the public interest, so to do, hereby exempts the procurements made through Government e-Marketplace (GeM) portal from the application of the provisions of the Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012 (Act No. 21 of 2012), except for sub-section (1) of section 4, section 11, 17 and 46 of the said Act.

[No. F.2(1)/FD/SPFC/2017]

By Order of the Governor,
नवीन महाजन,
Secretary to the Government.

Government Central Press, Jaipur.